चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1959

सा0का0नि0 1253- निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन-भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (घघघ) द्वारा इसे प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद बनाये गये हैं उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा, अपेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा पुष्ट कर दिए गए हैं, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है:-

चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959
(30 अगस्त, 1997 तक संशोधित रूप में)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) ये नियम चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959 कहलायेंगे।

(2) ये 16 नवम्बर, 1959 को प्रवृत होंगे।

2. मिलने वाली चिकित्सा सुविधायें - [1]संसद सदस्य [अपनी पदावधि में] उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं को पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय असैनिक सेवा, श्रेणी 1 के पदाधिकारियों को, जिनका प्रधान कार्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में है, [2][समय-समय पर प्रवृत] दिनांक पहली मई 1954 के स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्ञापन संख्या एफ 6(1)-1.54 होस्प0 में दी गई केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन उपलब्ध है।

[3]**[3. अभिदाय -** प्रत्येक संसद सदस्य के एक अनिवार्य मासिक अभिदाय उसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा, जो उच्चतम सिविल सेवक द्वारा संदेय होगा और ऐसा अभिदाय सदस्य के मासिक वेतन बिल से वसूलीय होगा।]

[संख्या एफ. 130-एम0एस0ए0 59 III]

---

[1] दिनांक 14 अप्रैल, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 431 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] दिनांक 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1888 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 509 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।